

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सहजानी खोयी

प्र. क्र. सेख्या - 31/2022

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मोलीसतपुरा व भू.अ.नि. सहजानी खोयी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नम्रख तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुरतपुरा तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् 2024 में खाता संख्या 05 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सुरतपुरा	05 खसत नं० 14, 21	अमीरदखं पुत्र साबरील हिल्सा 1/4 जाति कायमजानी निवासी सेहसा तह रतनगढ़ जालेदार	मिरडीनखं पुत्र सावडी खं हिल्सा 1/4 जाति कायमजानी निवासी सेहसा तह रतनगढ़ जालेदार

पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.टी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

क्रमांक :- 501-1

दिनांक :- 18.05.2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मिर्डीनखं पुत्र सावडी खं जाति को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

कायमजानी नि. सेहसा तह
रतनगढ़ जिला चूरु

भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.टी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

सं.सं. 951
18-05-2022